दैनिक जागरण

माया से मुक्ति ही मोक्ष का द्वार खोलती है

# पाकिस्तान का प्रलाप

कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के रोने-धोने और साथ ही उसके धमकाने एवं उकसाने वाले रवैये पर भारत ने यह कहकर एक तरह से उसकी अनदेखी ही की कि वह गैर जिम्मेदारी का परिचय देकर माहौल खराब करने का काम कर रहा है। जम्मू-कश्मीर के मामले में भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद पाकिस्तान जिस तरह अपनी बौखलाहट का अभद्र प्रदर्शन कर रहा है उससे उसकी जगहंसाई ही हो रही है। हैरानी यह है कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि चीन को छोड़कर अन्य कोई प्रमुख देश उसका रुदन सुनने को तैयार नहीं। कम से कम अब तो पाकिस्तान को यह आभास हो ही जाना चाहिए कि वह इस छलावे में जी रहा था कि कश्मीर उसका है और एक दिन उसे हासिल करके रहेगा। इस छलावे के चलते ही उसने अपनी सेना को अपने पर हावी होने दिया। चूंकि पाकिस्तान ने इस सच का सामना करने से जानबूझकर इन्कार किया कि कश्मीर पर उसका अधिकार नहीं बनता और वह उसे छल-बल से हासिल नहीं कर सकता इसीलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे? इसी बौखलाहट में वह कभी भारत को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है तो कभी दुनिया को कोस रहा है। बेहतर हो कि आम पाकिस्तानी अपनी सरकार और साथ ही अपनी सेना से यह साधारण सा सवाल पूछें कि क्या जम्मू-कश्मीर संबंधी अनुच्छेद 370 उनसे पूछकर या फिर उनकी सलाह से बनाया गया था? इसे तो भारत ने विशेष परिस्थितियों में अपने स्तर पर बनाया था और जब यह देखा कि उससे नुकसान ज्यादा और फायदा कम है तो हटा लिया। आखिर इस पर पाकिस्तान अथवा अन्य किसी देश को हाय-तौबा क्यों मचाना चाहिए?

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान जिस तरह आसमान सिर पर उठाए हुए है उससे तो यही साबित होता है कि यह अनुच्छेद जाने-अनजाने उसके हितों की ही पूर्ति अधिक कर रहा था। यह सही है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सेना की कठपुतली अधिक हैं, लेकिन उनमें इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि वह भारत को धमकाकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। भारत को झुकाने-डराने का ख्याली पुलाव पकाने के पहले उन्हें पाकिस्तान की छवि और साथ ही दयनीय आर्थिक दशा पर भी गौर करना चाहिए। चूंकि अपने सैन्य अफसरों के मुकाबले इमरान खान भारत से कहीं भली तरह परिचित हैं इसलिए वह इस हकीकत से भी दो-चार होंगे कि आज का भारत हर मामले में पाकिस्तान से बीस है। वह और उनके फौजी जनरल यह समझें तो बेहतर कि पाकिस्तान का हित भारत से संबंध सुधारने और उससे मिलकर चलने में है।

# मुकदमों का बोझ

इस समय पटना हाईकोर्ट में केवल आपराधिक मामलों की संख्या एक लाख से अधिक है। साठ हजार के करीब सिविल वाद हैं। जाहिर है कि हाईकोर्ट तक मामला जिला न्यायालयों से गुजर कर आता है। इससे इस बात का आकलन हो सकता है कि जिला कोर्ट में भी लंबित मामलों की सूची कितनी लंबी होगी? जिला स्तर पर हाईकोर्ट का यह निर्देश रहता है कि मध्यस्थता केंद्र में वैसे मामले भेजे जाएं जो सुलह योग्य हैं, लेकिन इसकी गति धीमी है। काउंसिलिंग सेंटर में भी 12 सदस्यों की समिति है जो दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करती है। इस कड़ी में विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका पहचानकर इसका गठन किया गया है। इसके तहत काउंसिलिंग सेंटर, मध्यस्थता केंद्र, निरंतर लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के गठन का प्रावधान है। जिन जिलों में इनकी सक्रियता है, वहां लंबित मामले कम हैं। स्थायी लोक अदालत आदेश तक पारित कर सकती है। निरंतर लोक अदालत भी समझौता कराकर मामले को निष्पादित कर सकती है। लगभग पूरे देश में ऐसी व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को इस पर और बल देना चाहिए। यह स्वागत योग्य है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एपी शाही ने स्वयं पहल कर बहुत पुराने मुकदमों के निपटारे की चिंता की है। अभी दैनिक जागरण में एक ऐसे ही पुराने मामले का जिक्र छपा है। पटना हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश बी. रामास्वामी के कार्यकाल में दर्ज हुए भोजपुर के भूमि विवाद की सुनवाई 42वें मुख्य न्यायाधीश एपी शाही अभी कर रहे हैं। महज पांच एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर 1964 से अदालत में लंबित इस मामले के निपटारे की पहल स्वयं मुख्य न्यायाधीश ने की है। रोचक है कि अपीलार्थी के वकील अनीशचंद्र सिन्हा से पहले उनके पिता दिवंगत जेसी सिन्हा इस मामले में पैरवी कर रहे थे। 1976 में उनकी मृत्यु के बाद इस समय अनीशचंद्र इस मामले को देख रहे हैं। केवल न्यायालय के भरोसे यह बोझ कम नहीं होगा। गांव, गांव की पंचायत, ग्राम कचहरी सबको अपनी भूमिका में आना होगा। आम आदमी को समझना होगा कि बहुत जरूरी न हो तो अदालत का समय न बर्बाद किया जाए। यह भी जरूरी है कि कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाए। जो पद खाली हैं, उनको भरा जाए। बढ़ती आबादी के सापेक्ष जजों की संख्या में अपेक्षित विस्तार भी आवश्यक है।

# चीन का चिंतित करने वाला रवैया



**ब्रह्मा चेलानी**

**यदि भारत चीन की उकसाने वाली गतिविधियों की अनदेखी करता रहा तो उसके साथ वार्ता में भारतीय पक्ष खुद को कमजोर ही महसूस करेगा**

मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा और उसे मिले संवैधानिक विशेषाधिकार समाप्त करना भारत के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है। मोदी सरकार ने यह कदम केवल घरेलू कारकों को देखकर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को ध्यान में रखकर भी उठाया। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर में मध्यस्थता के शिगूफे से लेकर पाकिस्तान की शह वाले अफगान तालिबान से अमेरिका की सौदेबाजी जैसे पहलू भी शामिल रहे। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद चीन ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण की पहल की। इसके लिए उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विशेष, लेकिन अनौपचारिक बैठक बुलाई। उसने बहुत निर्लज्ज ढंग से इस विवाद में अपनी भूमिका पर पर्दा डाल दिया, जबकि वह जम्मू-कश्मीर के 20 प्रतिशत भूभाग पर अवैध रूप से कब्जा किए बैठा है। उसने इस मसले को केवल भारत-पाकिस्तान के मुद्दे के रूप में पेश किया। यह मानना पूरी तरह गलत होगा कि सुरक्षा परिषद में चीन की इस कवायद से कुछ हासिल नहीं हुआ। इस दावपेंच से पाकिस्तान और उसके पिट्ठुओं का हौसला बढ़ेगा। चीन की शरारत से जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों को भी मदद मिली।

भले ही सुरक्षा परिषद की बैठक का कोई ठोस नतीजा न निकला हो, लेकिन इस बैठक ने भारत की जम्मू-कश्मीर नीति को अंतरराष्ट्रीय चर्चा में ला दिया। बंद कमरे में हुई बैठक में इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद पहली बार सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर चर्चा हुई। चीनी षड्यंत्र भारत को यही स्मरण कराता है कि जम्मू-कश्मीर के मामलों में उसका दखल और बढ़ेगा। चीन की रणनीति ही यह है कि वह भारत की दुखती रग छेड़कर गतिरोध को चरम पर ले जाए। बीजिंग जम्मू-कश्मीर को भारत की बड़ी कमजोरी के रूप में देखता है। इसके उलट जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक बदलाव से भारत को जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख में चीन-पाकिस्तान की साठगांठ से निपटने में मदद मिलेगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर भारत ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े अपने सीमा विवाद को भी पाकिस्तान एवं चीन के साथ अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया।

अनुच्छेद 370 के चलते पाकिस्तान का रवैया यही रहा कि भारत जम्मू-कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है। चूंकि केवल स्थाई नागरिकों को ही राज्य में जमीन खरीदने की इजाजत थी इसलिए कश्मीर घाटी में इस्लामी कट्टरपंथी हावी हो गए। वहां से कश्मीरी पंडितों को जबरन भगा दिया गया। अपनी विविधता भरी नस्लीय एवं धार्मिक पहचान के साथ जम्मू-कश्मीर बहुलतावादी भारत का एक उम्दा प्रतीक था, मगर उसकी समन्वयकारी संस्कृति और परंपराओं पर जिहादी आघात से पूरा परिदृश्य बदल गया। 1989 के बाद नई दिल्ली में सत्तारूढ़ सरकारें इस रुझान को रोकने में असहाय रहीं। परिणामस्वरूप कश्मीर की विविधता भरी परंपराओं पर वहाबी और सलाफी रीति-रिवाज हावी होते गए। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से भले ही कश्मीर घाटी में इस्लाम का अरबीकरण न रुके, लेकिन इससे भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर के वास्तविक रूप से एकीकरण की समस्या जरूर सुलझेगी। वास्तव में इस परिवर्तन से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा संबंधी फैसलों पर केंद्र सरकार और मजबूती के साथ निर्णय कर सकेगी।

जम्मू-कश्मीर में उठाए गए कदमों के आलोक में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला, मगर अब उसे आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा आवाजाही और संचार के स्तर पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे संविधानप्रदत्त मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर जोखिम को देखते हुए ये प्रतिबंध चरणबद्ध ढंग से हटाए जा सकते हैं।

जहां हांगकांग की जनता लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, वहीं कश्मीर के हथियारबंद जिहादियों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं और वे खलीफा का शासन स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में प्रशासन को घाटी के अस्थिर जिलों में एक विकेंद्रित और सुनियोजित रणनीति के तहत इस तरह प्रतिबंध लगाने चाहिए जिससे स्थानीय स्तर पर शांति स्थापित हो। इसके लिए पुरस्कृत और साथ ही दंडित करने वाला रवैया अपनाया जाना चाहिए।

चीन-पाकिस्तान की गहरी होती साठगांठ भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। चीन के संरक्षण में पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार जिहादी आतंक का इस्तेमाल करता रहेगा। भारत को पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उनके असली आका यानी फौजी हुक्मरानों पर शिकंजा कसना होगा। 2016 में उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या फरवरी में बालाकोट हमला, ये दोनों कार्रवाइयां आतंकी ठिकानों पर हुईं। इनसे उन फौजी हुक्मरानों का कुछ नहीं बिगड़ा जो भारत को हजार घाव देने की रणनीति को धार देने में जुटे हैं। पाकिस्तान के पीछे असल ताकत चीन है, जिसके खिलाफ भारत आवाज बुलंद करने में भी हिचकता है। वास्तव में भारत के खिलाफ भारी व्यापार अधिशेष का इस्तेमाल कर चीन अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहा है। वह एक गोली दागे बिना ही अपने आक्रामक हित साध रहा है। भारत एक तरह से खुद अपने नियंत्रण के साधन मुहैया करा रहा है। भारत के दूरसंचार क्षेत्र में चीन का पहले ही वर्चस्व कायम हो चुका है और हुआवे पर भारत में 5जी परीक्षण के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय भारत कोई बीच का रास्ता तलाश रहा है।

अप्रैल 2018 में वुहान की खुमारी हफ्ते भर तक नहीं टिक पाई। फिर भी चीन के हालिया उकसावे के बावजूद वुहान जैसी वार्ता के लिए चीनी राष्ट्रपति अक्टूबर में भारत आएंगे जो शायद वाराणसी में होगी। इससे पहले चीन भारत को सीमा विवाद से जुड़ी वार्ताओं में उलझाने की मंशा दिखा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भारत कम से कम इतना तो कर सकता है कि वह प्रमुख क्षेत्रों में चीन की राह रोके। अगर भारत लगातार चीन की उकसाने वाली गतिविधियों की अनदेखी करता रहेगा तो अगले महीने जब मोदी चीनी राष्ट्रपति के साथ वार्ता के लिए बैठेंगे तो भारतीय पक्ष कमजोर महसूस करेगा। यही बात अजीत डोभाल पर भी लागू होगी जब वह सीमा वार्ता के लिए चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे।

जम्मू-कश्मीर भारत के लिए एक सेक्युलर पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मूलभूत मुद्दा है। कुछ समय के लिए कश्मीर घाटी में हालात खराब होते दिख सकते हैं जिससे भारत पर देसी-विदेशी आलोचकों के साथ ही मानवाधिकारवादियों का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि दीर्घ अवधि में भारत के साथ व्यापक जुड़ाव और विकास की गतिविधियां कश्मीर घाटी में हालात सामान्य बनाने में योगदान देंगी। भारत को बड़ा फायदा हासिल करने के लिए इस क्षणिक दुख को झेलना ही होगा।

(लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं)

response@jagran.com



अवधेश राजपूत

# जीएसटी को साकार करने वाले अरुण जेटली



**सुशील कुमार मोदी**

**वह जेटली ही थे जिन्होंने जीएसटी के विचार को वास्तविकता में बदला एवं उसे जमीन पर उतारा**

आधुनिक भारत के संभवतः सबसे बड़े कन्सेंसस बिल्डर यानी आम सहमति का निर्माण करने वाले पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वह काम किया जो सरदार पटेल ने भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए किया था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि अरुण जेटली न होते तो शायद भारत में जीएसटी लागू करना कठिन होता। भारत सरीखे संघीय गणराज्य में जीएसटी लागू किया जाना दुनिया के किसी भी अन्य देश से कठिन काम था। इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव तब हुआ जब राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति का नेतृत्व करते हुए हम लोगों ने यूरोप, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी के अमल की व्यवस्था देखी। कनाडा को छोड़कर सभी देशों में केंद्र सरकार जीएसटी संग्रह करती है और उसे केंद्र और राज्य के बीच वितरित करती है, परंतु भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों, दोनों को जीएसटी संग्रह करने का अधिकार दिया गया। इस कारण यहां दोहरा जीएसटी लागू करना और कठिन काम था। भारत जैसे विविधता वाले देश में जीएसटी लागू करने के लिए दूरदृष्टि, अथक परिश्रम, विषयवस्तु पर गहरी पकड़ और सभी पक्षों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता आवश्यक थी। संयोग से ये सभी गुण अरुण जी में भरे पड़े थे।

अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनने से पहले जीएसटी की चर्चा लगभग एक दशक से चल रही थी, परंतु इसमें कोई विशेष प्रगति इसलिए नहीं दिख रही थी, क्योंकि राज्यों को केंद्र सरकार पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। केंद्रीय बिक्री कर की दर घटाए जाने के कारण राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय बजट में घोषणा भी की गई, परंतु केंद्र के आश्वासन के बावजूद क्षतिपूर्ति किसी को नहीं मिली। केंद्र के इस रवैये से सभी राज्य सशंकित थे कि जीएसटी अमल से होने वाली क्षति की भरपाई होगी भी या नहीं? वित्त मंत्री का प्रभार लेने के बाद अरुण जेटली ने सर्वप्रथम पूर्व सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा किया एवं राज्यों को इस मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान की। इस एक कदम से राज्यों का भरोसा बढ़ा। इससे जीएसटी पर चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाना आसान हुआ। अरुण जी ने संविधान संशोधन का जो प्रारूप रखा उसमें राज्यों को जीएसटी के कारण हुई क्षति को पांच वर्षों तक 14 प्रतिशत की निश्चित वृद्धि से पूरा किए जाने का प्रस्ताव शामिल किया। इस निर्णय ने जीएसटी के प्रति राज्यों की प्रमुख चिंता का निवारण कर दिया। इसका



परिणाम यह हुआ कि राज्य जीएसटी पर सार्थक चर्चा करने में दिलचस्पी लेने लगे।

केंद्र और राज्यों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर असहमति के कारण 2014 तक कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई थी। राज्यों की चिंता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे जैसे-प्रवेश कर और पेट्रो उत्पादों को जीएसटी में समाहित करने को लेकर अरुण जी ने दिसंबर 2014 में राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह से अलग से बैठक करते हुए इन मुद्दों को सुलझाया और नए संविधान संशोधन विधेयक का खाका तैयार किया। इस नए प्रारूप पर सभी की आम सहमति हासिल करने के लिए उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति की बैठक में भाग लिया और लंबे विचार-विमर्श के बाद उस पर आम सहमति बनाने में सफल हुए। इसी कारण नया संविधान संशोधन विधेयक संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ एवं राज्यों ने भी इसका समर्थन किया। जीएसटी लागू करने के लिए यह पहला आवश्यक, निर्णायक एवं महत्वपूर्ण कदम था, जिसके फलस्वरूप जीएसटी परिषद का गठन हो सका।

परिषद की शुरुआती बैठकों में व्यवसायियों पर केंद्र एवं राज्यों के दोहरे नियंत्रण और जीएसटी के अधीन कर दरों के बारे में व्यापक चर्चा के बाद ही ऐसी व्यवस्था का निर्माण अरुण जी के नेतृत्व में संभव हो सका जो सबको स्वीकार्य हो। इन चर्चाओं में उन्होंने बड़े-से-बड़े एवं छोटे-से-छोटे राज्य की हर बात को ध्यान से सुना, सभी से राय ली और जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। परिषद की बैठक के पूर्व केंद्र एवं सभी राज्यों के अधिकारियों की बैठक की व्यवस्था भी उनके द्वारा बनाई गई। इन बैठकों से छन कर विचार परिषद में आते थे, जिससे परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने में काफी आसानी होती थी। इसी के साथ ज्यादा-से-ज्यादा मुद्दों पर चर्चा और निर्णय भी संभव हो पाता था।

कुछ विवादित मामलों में आमतौर पर अरुण जी मंत्री समूह बना देते थे, जिसमें हर विचारधारा के मंत्री शामिल होते थे। इस प्रकार के एक दर्जन से अधिक समूह बने थे और उनकी बैठकों में विवाद के सभी पहलुओं पर सांगोपांग विचार-विमर्श होता था। इससे एक मान्य निष्कर्ष भी निकल आता था जिसे परिषद द्वारा बहुधा स्वीकार कर लिया जाता था। इसके अलावा अरुण जी कई बार विवादित मामलों को अगली बैठक तक के लिए स्थगित करवा देते थे और राज्यों को नए सिरे से उन मामलों पर विचार करने का आग्रह किया करते थे। लॉटरी पर दोहरी कर दर की व्यवस्था, सरकार को प्रदान की गई सेवाओं, रेस्टोरेंट, ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर टैक्स की दरों के साथ टीसीएस/टीडीएस, ई-वे बिल जैसे जटिल मुद्दों को अरुण जी ने आसानी से सुलझा दिया, जबकि इसकी उम्मीद कम ही दिखती थी। इन सभी मामलों में उनकी सूझ-बूझ, मामले की समग्र समझ, उनके विधि के ज्ञान, सबको साथ लेकर चलने की उनकी प्रवृत्ति और दृढ़ इच्छाशक्ति कारगर सिद्ध हुई।

मैं बिना किसी हिचकिचाहट से यह कह सकता हूं कि वह अरुण जेटली ही थे जिन्होंने जीएसटी के विचार को वास्तविकता में बदला एवं उसे जमीन पर उतारा। यह कार्य उस दौर में और भी कठिन था जब जीएसटी परिषद में भाजपा शासित राज्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। केंद्र सरकार, 29 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों के मिले-जुले स्वरूप में गठित जीएसटी परिषद में किसी मुद्दे पर मत विभाजन नहीं हुआ तो यह केवल और केवल अरुण जी की सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति के कारण संभव हो पाया। अरुण जी ने कांग्रेस, माकपा से लेकर तृणमूल तक के वित्त मंत्रियों का विश्वास हासिल किया। इसी का परिणाम था कि असंभव सा दिखने वाले जीएसटी को उन्होंने क्रियान्वित कर दिखाया।

(लेखक बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### प्रसन्नता

प्रसन्नता मनुष्य के जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। यह स्नेह, भाईचारे, प्रेम-सद्भाव और त्याग की प्रवृत्ति से मिलती है। हमारे जितने आराध्य देव महापुरुष हुए सबने यही उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान श्रीराम ने तो राजपाट त्याग जंगल जाना पसंद किया। यही कारण है कि भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास पर ग्रंथ लिखे गए। वनवास के बारे में सब जानते हैं, जबकि उनके राजकाज के बारे में बहुधा कम लोग जानते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के कंस-वध और महाभारत की कथा से सब परिचित हैं और इसका खूब गुणगान भी होता है। वहीं शिवजी का परम भक्त रावण था, लेकिन उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वह दूसरों के सुख, संपत्ति, यश-वैभव का अपहरण करता था। इसलिए जो दूसरों को कष्ट, यातना अपने सुखोपभोग के लिए देता है, वह अंततः कष्ट पाता है।

इसी तरह का उदाहरण कलियुग के साथ भी है। उसे अपने राज्य में घुसते देख परीक्षित ने रोका और कहा कि तुम शक्ल-सूरत से अत्यंत कुरूप हो, आखिर तुम कौन हो? कलियुग ने परिचय दिया और कहा कि हमें ज्यादा नहीं कुछ ही स्थान दे दीजिए। उसके अनुनय विनय पर परीक्षित ने स्वर्ण, जुआ (द्युत क्रीड़ा), छल और झूठ में स्थान की अनुमति दे दी। मौका पाकर कलियुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। इस प्रकार जब मस्तिष्क में विकार घुस जाते हैं तो प्रसन्नता गायब हो जाती है। अतः मस्तिष्क में श्रेष्ठ महापुरुषों के चिंतन-मनन को स्थान देना चाहिए ताकि जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। इसके लिए अच्छे-अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उसे जीवन में अपनाना भी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों ने कहा भी है कि मन भर ज्ञान से तोला भर आचरण श्रेष्ठ होता है।

इसके उलट वर्तमान दौर में प्रायः लोग भौतिक वैभव को प्रसन्नता का कारण मानते हैं। इसके चलते सारे आदर्श और सिद्धांत को तिलांजलि दे देते हैं। तनाव से अर्जित भौतिक साधन अंततः तनाव ही देगा। इसलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सलिल पांडेय

# खेल संस्कृति का अभाव

**अमृत कुमार**

**किसी देश की एकता के लिए जरूरी प्रेम और मैत्री की भावना भी खेलों से विकसित की जा सकती है**

अमेरिका में सभी छात्रों के लिए खेल अनिवार्य है। हर साल वहां हजारों मेधावी खिलाड़ी चुने जाते हैं और उन्हें अलग-अलग केंद्रों में निखारा जाता है। चीन में खेल स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। वहां पांच लाख से अधिक खेल विद्यालय हैं जहां गांवों, कस्बों से लाकर मेधावी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। जबकि भारत में खेल विद्यालयों का अभाव तो है ही, स्कूलों में खेल भी अनिवार्य नहीं है। इससे खिलाड़ियों की प्रतिभा का ह्रास हो रहा है।

निश्चित ही भारत जैसे युवा देश के लिए यह चिंता का विषय है। देखा जाए तो इसके कई कारण हैं। दरअसल हाल के दिनों में स्मार्ट फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग में तेज वृद्धि आई है। छोटी उम्र में बच्चों के हाथों में मोबाइल आने के बाद वे अपना सारा समय इसमें ही गंवा दे रहे हैं। दूसरा कारण मैदानों की निरंतर कमी होना है। गांवों में तो आज भी खुली जगह बच्चों को खेलने के लिए आमंत्रण देती है, लेकिन शहर की घुटन भरी जिंदगी में निकटवर्ती कोई मैदान बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। जिसके कारण बच्चे खाली समय में अनायास ही मोबाइल और कंप्यूटर के खेलों के शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण है खेलों को लेकर हमारे समाज की नकारात्मक सोच, जिसके तहत कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। चौथा कारण है अभिभावकों के पास समय का अभाव होना। रोजमर्रा की जिंदगी में धनार्जन करने की प्रवृत्ति ने हर किसी को व्यस्त कर दिया है। ऐसे में आज के मासूमों को कौन डिब्बा स्पाइस, सतोलिया, लुका छिपी, लगंड़ी, कबड्डी, खो-खो इत्यादि बचपन के इन खेलों के बारे में बताएगा? जिससे मासूम मन में इन खेलों के प्रति खेलने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके।

जाहिर है आज हमें ऐसी नीतियों का निर्माण करने की जरूरत है, जिससे देश में खेलों को सम्मानित मुकाम हासिल हो सके। खेल केवल मनोरंजन तक ही सीमित न हों, बल्कि यह एक करियर के तौर पर भी अपनाया जाए। इसके लिए हमें खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। और उसके विकास के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। इसके लिए सरकार को निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। निजी संस्थाओं द्वारा शोध और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक उसी प्रकार क्या हम भी खिलाड़ियों को आर्थिक मदद और प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं करा सकते?

आज जरूरत है कि खेलों के प्रति युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित किया जाए। उन्हें बताया जाए कि मोबाइल और कंप्यूटर पर क्रिकेट खेलने से कहीं अधिक मजा मैदान में जाकर क्रिकेट खेलने में है। आज बच्चों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि देश की एकता को बरकरार रखने के लिए भाईचारे, प्रेम और मैत्री की भावना इन्हीं खेलों से विकसित की जा सकती है। इसलिए देश में खेल संस्कृति को जीवित करने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### स्वस्थ रहने का माध्यम हैं खेल

खेल संस्कृति विकसित करने का मंत्र शीर्षक से लिखे अपने लेख में तरुण गुप्त ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे लिए आकलन और संकल्प का दिवस होना चाहिए ताकि हम आकलन कर विश्लेषण करें कि खेल के स्तर पर हम कहां खड़े हैं और निष्कर्ष स्वरूप हमें कहां खड़ा होना चाहिए। ओलंपिक खेलों में भारत का दयनीय प्रदर्शन हमें आईना दिखाता है। आज भारत युवा शक्ति के रूप में उभर रहा है। खेलों में भी यदि हम महाशक्ति बनने का संकल्प लें तो उस संकल्प को पूरा करना कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम सरकार को ग्राम से लेकर ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर, जनपद से मंडल और मंडल से प्रदेश स्तर तक खेलों से संबंधित संसाधनों को जुटाना होगा, खेल के मैदान विकसित करने होंगे, क्योंकि बढ़ती आबादी से खेल के मैदान समाप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही देश में कोचों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। सरकार को देश में स्तरीय कोच तैयार करने पर बल देना होगा, ताकि तेजी से आ रहीं खेल प्रतिभाओं को संभाला जा सके। जाहिर है हमें खेल संस्कृति विकसित करने के साथ-साथ संसाधन भी जुटाने होंगे।

सर्वजीत आर्या, कन्नौज

### सुधरेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

सरकार ने देश में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इस फैसले से आने वाले दिनों में एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ेंगी। इस तरह देश में डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी और देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार होगा। 75 मेडिकल कॉलेज के लिए 24 हजार 375 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बन सकती है। एक अनुमान के अनुसार देश में एक लाख मेडिकल सीटों की जरूरत है। फिट इंडिया अभियान को बढ़ाने तथा आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाने में इन मेडिकल कॉलेजों की भूमिका काफी अहम हो सकती है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

### कुल्हड़ वाली चाय

चाय की खुशबू और जायका ढूंढते लोगों के लिए कुल्हड़ वाली महक एक अलग अहसास देती है। विलुप्त होते इस बेमिसाल विरासत की खातिर लालू यादव के तत्कालीन रेल मंत्रालय ने चाय के बहाने कुल्हड़ को वापस लाने का प्रयास किया था। मगर मरणासन्न कुल्हड़ उद्योग में जान फूकने की यह कोशिश नाकाफी साबित हुई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रेल मंत्रालय को पत्र लिख कर रेल, एयरपोर्ट, बस अड्डे और मॉल जैसे सार्वजनिक जगहों पर कुल्हड़ वाली चाय अनिवार्य करने की राय दी है। पर्यावरण और स्वास्थ्य को लक्ष्य मान कर लिखी गई चिट्ठी, मिट्टी उद्योग सहित परंपरागत कुल्हड़ चाय की परिपाटी को प्रोत्साहित करने में अवश्य सहायक होगी। शायद कुल्हड़ फिर से चाक से चौपाल तक नजर आए। मिट्टी से बनी कुल्हड़ हमारे सामाजिक जीवन की धरोहर है।

mkmishra75@yahoo.in

### इमरान के हथकंडे फेल

अनुच्छेद 370 हटने का सीधा अर्थ कश्मीर में पाकिस्तानी दखलंदाजी बंद होना है। इसी वजह से पाक छटपटा रहा है। पाक के पीएम इमरान खान रोज नए-नए हथकंडे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनकी किस्मत उल्टी चल रही है और इनके सभी दांव फेल होते जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर को भूल अपने कब्जे वाले गुलाम कश्मीर को बचाने में लग गया है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

### सस्ती हो चिकित्सा शिक्षा

दैनिक जागरण के 28 अगस्त के उप्र संस्करण में संपादकीय डॉक्टरों का असंतोष पढ़ा। सरकार डॉक्टरों से 70 साल की उम्र तक काम तो कराना चाहती है पर समीक्षा कर यह नहीं देखना चाहती कि उन्हें मिल रही सुख सुविधाएं व पारिश्रमिक पर्याप्त हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार कब तक जबरन डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में रोक कर रख सकती है? सरकार को चाहिए कि वो उनकी सुख सुविधाओं को काम के अनुसार बढ़ाए, साथ ही साथ चिकित्सा की शिक्षा को निजी हाथों में कम से कम सौंपे। सरकारी स्तर पर ही चिकित्सा शिक्षा की सस्ती व्यवस्था हो।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम

**इस स्तंभ** में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

**अपने पत्र इस पते पर भेजें :**
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।